लक्ष्य और उपलब्धियां

प्रधानमंत्री का स्वतंत्रता दिवस 2016 का संबोधन

सत्यमेव जयते

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

15 अगस्त, 2016 को प्रधानमंत्री की घोषणा

प्रत्येक ग्रामीण नागरिक पक्की सड़कों की मांग करता है। यह एक बड़ा काम है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस काम को विशेषतौर पर शुरू किया था। अगली सरकारों ने भी इसके लिए निरंतर काम करते हुए इसे जारी रखा। हमने इस पर तेजी से काम करने के प्रयास किए हैं। इससे पहले प्रतिदिन 70-75 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का काम पूरा होता था। अब हमने इस रफ्तार को बढ़ाकर प्रतिदिन 100 किलोमीटर कर दिया है। इस रफ्तार के बल पर आने वाले दिनों में आम नागरिकों की आकांक्षाएं पूरी होंगी।

उपलब्धियां

वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण की गति विगत सात वर्ष में सर्वाधिक 130 किलोमीटर प्रतिदिन के स्तर तक पहुंच गई, जबकि वर्ष 2011 से 2014 की अवधि में यह औसतन 73 किलोमीटर ही थी। मौजूदा वित्त वर्ष 2017-18 में, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत औसत 156 किलोमीटर प्रतिदिन की दर से 57,000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण करने और 16,600 पात्र आवास स्थलों को संपर्कता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। मौजूदा वित्त वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून, 2017) में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कुल 10,556 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण हो चुका है, जो औसतन 117.28 किलोमीटर प्रतिदिन है। वर्ष 2016-17 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून, 2016) की तुलना में यह काफी सकारात्मक है, जब 97.29 किलोमीटर प्रतिदिन की औसत दर से कुल 8756 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण किया गया था। मौजूदा वित्त वर्ष में निर्मित सड़कों की लम्बाई के रूप में जो प्रगति हुई है, वह कुल वार्षिक लक्ष्य का 18.51 प्रतिशत है। निर्माण की मौजूदा दर अक्तूबर, 2017 की तुलना में मार्च, 2018 में और भी तेजी से बढ़ेगी। इसलिए, यह मानने के लिए सभी कारण मौजूद हैं कि लक्ष्यों से अधिक उपलब्धियों की प्रबल संभावनाओं सहित हम वार्षिक लक्ष्यों को पूरा करेंगे।

ऊर्जा समृद्ध भारत की ओर

15 अगस्त, 2016 को प्रधानमंत्री की घोषणा

पिछले एक वर्ष की अवधि में हमने पवन ऊर्जा में 40 प्रतिशत तक वृद्धि की है। यह हमारी तीव्र गति का पैमाना है। पूरा विश्व सौर ऊर्जा की ओर ध्यान केंद्रित कर रहा है। हमने इस क्षेत्र में लगभग 116-118 प्रतिशत वृद्धि की है। वृद्धि की ओर यह न केवल एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, बल्कि यह विकास की ओर एक बड़ी छलांग है। हमारा लक्ष्य इसमें परिणात्मक तौर पर वृद्धि लाना है।

प्रस्तावना

प्रधानममंत्री ने 11 जनवरी, 2010 को राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरूआत की थी। वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट ग्रीड से जुड़ी सौर ऊर्जा विकसित करना इस मिशन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। वर्ष 2022 तक ग्रीड शुल्क में तालमेल तक पहुंचने के क्रम में, कई माध्यमों से सौर ऊर्जा के उत्पादन की लागत में कमी लाना इसका लक्ष्य है, जैसे -

(1) दीर्घकालिक नीति,

(2) बड़े पैमाने पर स्थापित करने के लक्ष्य,

(3) प्रभावकारी अनुसंधान और विकास, और

(4) महत्वपूर्ण कच्चे माल, घटकों और उत्पादों का अपने देश में उत्पादन करना।

उद्देश्य

इस लक्ष्य तक पहुंचने और भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व की एक अग्रणी हस्ती बनाने के लिए राष्ट्रीय सौर मिशन एक सक्षम नीति कार्यक्रम तैयार करेगा। सरकार ने राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत वर्ष 2021-22 तक 20 हजार मेगावाट ग्रिड सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लक्ष्य को संशोधित करके वर्ष 2021-22 तक 1,00,000 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया है तथा 17 जून, 2015 को मंत्रिमंडल द्वारा इसे स्वीकृत किया गया।

उपलब्धियां

30.06.2017 तक कुल सौर क्षमता 13114.59 मेगावाट है।

(वर्ष 2014-15 में 3,743 मेगावाट सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता की तुलना में यह काफी अधिक है।

किसान कल्याण के लिए कदम

15 अगस्त, 2016 को प्रधानमंत्री की घोषणा

"हमारे देश के किसान तभी लाभान्वित होंगे, जब हम मूल्य संवर्धन की दिशा में आगे बढ़ेंगे, और इसके लिए हमने पहली बार खाद्य प्रसंस्करण पर विशेष जोर दिया है। हमने शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर जोर दिया है, जिससे कृषि आधारित उद्योग स्थापित होंगे तथा उसके बाद, मेरे भाईयो और बहनो, मैं समझता हूं कि इससे वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के हमारे और हमारे किसानों के सपने साकार करने में मदद मिलेगी।

प्रस्तावना

- कृषि क्षेत्र के विकास के लिए हमारी पूर्ववर्ती रणनीति मुख्य रूप से कृषि पैदावार बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा में सुधार लाने पर जोर देना रहा है। इसमें बेहतर प्रौद्योगिकियां और नस्लें भी शामिल हैं। इस रणनीति में किसानों की आय बढ़ाने की आवश्यकता को विशेष महत्व देना शामिल नहीं था। इसका परिणाम यह हुआ कि किसानों की आय कम ही रह गई। उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2011-12 पर आधारित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि कृषि क्षेत्र में स्व:नियोजन वाले ग्रामीण परिवारों के पांचवें हिस्से की आय गरीबी रेखा से नीचे थी।
- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना :** इस योजना के माध्यम से न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम बीमा राशि उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2016 को इसकी शुरूआत की थी।
- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना :** देश में कृषि उत्पादकता में सुधार लाने और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए यह एक राष्ट्रीय अभियान है। इस योजना के लिए पांच वर्षों के लिए 500 अरब रुपये (7.8 अरब अमरीकी डॉलर) का बजट आवंटित किया गया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति में 01 जुलाई, 2015 को यह निर्णय लिया गया। इसके तहत सिंचाई के लिए 28.5 लाख हेक्टेयर भूमि को शामिल किया जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई के लिए 'प्रति बूंद अधिक फसल' के तहत वर्ष 2014-17 की अवधि में सूक्ष्म सिंचाई के अधीन 15.86 लाख हेक्टेयर भूमि को शामिल किया गया।
- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड :** मृदा स्वास्थ्य कार्ड में कृषि सामग्री के तर्क संगत इस्तेमाल के जरिए उत्पादकता में सुधार लाने हेतु किसानों की मदद के लिए व्यक्तिगत खेतों के वास्ते आवश्यक पोषक तत्वों और उर्वरकों के बारे में फसलवार सुझाव शामिल किया जाता है। अब तक 6.5 करोड़ कार्ड वितरित किए गए हैं।
- किसानों के लिए खेती और कृषि कार्य हेतु ऋण सुविधा को बढ़ा कर 10 लाख करोड़ रूपए किया गया।

- **ई-नाम:** यह ऐसी पहल है जिसमें सभी कृषि मंडियों को जोड़ा गया है तथा किसान किसी भी बाजार में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ मूल्य पर अपने उत्पाद बेच सकते हैं। 36.43 लाख किसानों, 84,631 व्यापारियों और 42,109 आयोग सहित ई-नाम पर 2.50 मंडियाँ उपलब्ध हैं।
- **नीम कोटेड यूरिया:** इससे पहले, रियायती यूरिया का इस्तेमाल गैर-कृषि कार्यों में गलत तरीके से किया जाता था। इससे यूरिया की कमी भी हो गयी। नीम कोटेड यूरिया की शुरूआत से यूरिया का गैर-कृषि कार्यों में इस्तेमाल असंभव हो गया और इससे किसानों के लिए यूरिया अब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

उपलब्धियां

मई, 2017 में सरकार ने 6000 करोड़ रूपाए की लागत से वर्ष 2016-20 की अवधि के लिए चौदहवें वित्त आयोग के साथ-साथ देश में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि क्षेत्र की एक नई योजना- किसान संपदा योजना (कृषि- मरीन प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के विकास की योजना) को मंजूरी दी। ऐसे निर्धारित फूड पार्कों में निर्धारित फूड पार्कों और कृषि प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए किफायती ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नाबार्ड में 2000 करोड़ रूपए की एक विशेष निधि स्थापित की गयी है। 23 अप्रैल 2015 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित मार्गनिर्देशों के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र के ऋणदाताओं के लिए कृषि क्रियाकलापों के अंतर्गत खाद्य और कृषि आधारित प्रसंस्करण संयंत्रों और शीत श्रृंखला सुविधा को वर्गीकृत किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय फिलहाल 236 समन्वित शीत श्रृंखला परियोजनाओं में सहायता कर रहा है। 236 शीत श्रृंखला परियोजनाओं के संचालन में 7.68 लाख एमटी शीत भंडारण/नियंत्रित वातावरण/अति शीत भंडारण का निर्माण, 215 एमटी/एचआर व्यक्तिगत शीघ्र प्रशीतन, प्रतिदिन 110.49 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण/ भंडारण और 1400 रीफर वाहन शामिल हैं। इसमें से, मंत्रालय ने अब तक 3.98 लाख मीट्रिक टन शीत भंडारण क्षमता, 104.39 मीट्रिक टन व्यक्तिगत शीघ्र प्रशीतन प्रतिघंटा, प्रतिदिन 39.83 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण/भंडारण और 591 रीफर वाहन तैयार किए हैं।

वर्ष	एफडीआई पूंजी प्रवाह (मिलियन अमेरिकी डालर)
2014-15	515.86
2015-16	505.88
2016-17	727.22

स्रोत: औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में वर्षवार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह निम्नानुसार है:-

स्वाधीनता सेनानियों को सम्मान

15 अगस्त, 2016 को प्रधानमंत्री की घोषणा

'स्वतंत्रता सैनिक परिवारजनों को, जो उनको सम्मान राशि मिलती है, जो पेंशन मिलती है, उस पेंशन में 20 प्रतिशत की वृद्धि करने का सरकार निर्णय कर रही है। जिस स्वतंत्रता सेनानी को पहले 25 हजार मिलते थे, तो अब उसको 30 हजार रुपये मिलेंगे और हमारे इन स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को एक छोटा-सा, एक मेरा विनम्र का प्रयास है।'

उपलब्धियां

स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को दी जाने वाली स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन 15.08.2016 से निम्नानुसार बढ़ायी गयी है:

क्र.सं.	स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी	वृद्धि से पहले महंगाई राहत सहित पेंशन राशि (प्रतिमाह)	वृद्धि के बाद महंगाई राहत सहित पेंशन राशि (प्रतिमाह)
1.	पूर्व-अंडमान राजनीतिक कैदी/ जीवनसाथी	24,775/- रुपए	30,000/- रुपए
2.	ब्रिटिश भारत के बाहर कष्ट झेलने वाले स्वतंत्रता सेनानी/जीवनसाथी	23,085/- रुपए	28,000/- रुपए
3.	आईएनए सहित अन्य स्वतंत्रता सेनानी/जीवनसाथी	21,395/- रुपए	26,000/- रुपए
4.	आश्रित माता-पिता/पात्र पुत्रियां (एक समय में अधिकतम तीन पुत्रियां)	3,380/- रुपए (आश्रित माता-पिता) 5,070/- रुपए (पुत्री)	स्वतंत्रता संनानी के लिए मान्य धनराशि का 50 प्रतिशत यानि 13,000/- रुपए से लेकर 15,000/- रुपए

01.01.2017 से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मान्य महंगाई भत्ता/राहत दी जा रही है।

स्वस्थ भारत की ओर

प्रस्तावना

नागरिकों के लिए सेवा को आसान बनाने के क्रम में जुलाई 2015 में ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली शुरू की गयी थी। विभिन्न सार्वजनिक अस्पतालों में नागरिकों को ऑनलाइन पंजीकरण व अप्वाइंटमेंट, शुल्कों के भुगतान, नैदानिक रिपोर्टों को ऑनलाइन देखने, रक्त की उपलब्धता के बारे में ऑनलाइन पूछ-ताछ करने आदि के लिए सेवाएं प्रदान की जाती हैं। फिलहाल 100 से अधिक अस्पतालों में ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली उपलब्ध है और अब तक लगभग 9 लाख अप्वाइंटमेंट ऑनलाइन किए जा चुके हैं। ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली से पंजीकरण और अप्वाइंटमेंट डेस्क में मरीज प्रबंधन सेवाओं में सुधार लाने में काफी मदद मिली है।

15 अगस्त, 2016 को प्रधानमंत्री की घोषणा

'हम उन दिनों को याद करें जब हम किसी बड़े अस्पताल में जाते थे तो लंबे समय तक कतारों में प्रतीक्षा करते थे। लोग एम्स अस्पताल आते थे और दो से तीन दिन का समय केवल यह पता लगाने में गवां देते थे कि कौन सी नैदानिक जांच की जानी हैं। अब हम इस प्रणाली में बदलाव लाने में सक्षम हुए हैं। अब पंजीकरण ऑनलाइन हो रहा है तथा डॉक्टर का अप्वाइंटमेंट भी ऑनलाइन दिया जा रहा है। अप्वाइंटमेंट के समय में रोगी के आने पर प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। उसका सारा मेडिकल रिकार्ड भी ऑनलाइन उपलब्ध है। स्वास्थ उपचार के क्षेत्र में हम इसे देश व्यापी संस्कृति के रूप में विकसित करना चाहते हैं। आज यह प्रणाली देश के 40 बड़े अस्पतालों में काम कर रही है। यह मूलभूत तथ्य है कि सरकार को संवेदनशील रहना होगा।

उपलब्धियां

मरीजों के ऑनलाइन मेडिकल रिकार्ड को तैयार करने के क्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत् अब तक स्वास्थ्य देख-भाल सुविधाओं के कंप्यूटरीकरण और अस्पताल सूचना प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में बेहतर क्षमता और सेवा वितरण के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अस्पतालों की स्वचालन प्रक्रियाओं के लिए अस्पतालों में स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जा रही है। अस्पतालों में मरीजों के लिए सेवाओं के बेहतर विरण और प्रक्रियाओं की क्षमता में सुधार के लिए अस्पताल के कार्य प्रबंधन में लक्षित प्रभाव के रूप में शामिल हैं। ई- हॉस्पिटल अप्लीकेशन एनआईसी द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। देश भर के 150 से अधिक अस्पतालों में इसे लागू किया गया है, जिसमें से 15 केंद्र सरकार के अस्पताल हैं। इसी प्रकार सी-डीएसी नोएडा का ई-सुश्रुत अप्लीकेशन राजस्थान (राज्य भर में 80 स्वास्थ्य सेवा सुविधा) में और अन्य राज्यों के 15 अस्पतालों में काम कर रहा है।

15 अगस्त, 2016 को प्रधानमंत्री की घोषणा

स्वास्थ्य सेवाएं दिनों-दिन महंगी होती जा रही हैं और इसी कारण से मैं लाल किले की प्राचीर से गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की स्वास्थ्य सेवा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा कर रहा हूं। इस योजना के तहत, आने वाले दिनों में, यदि ऐसे गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत होगी तो सरकार अधिकतम 01 लाख रुपए तक का व्यय वहन करेगी ताकि हमारे गरीब भाइयों को स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न होना पड़े और उनके सपने न टूटने पाए।

.

उपलब्धियां

वर्ष 2017-18 के दौरान प्रति वर्ष 30,000/- रुपए प्रति वरिष्ठ नागरिक को अतिरिक्त कवरेज सहित प्रति परिवार 1,00,000/- रुपए की स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना (एनएचपीएस) नामक एक नई स्वास्थ्य संरक्षण योजना का प्रस्ताव किया गया है।

हर एक भारतीय को मिली पहचान

15 अगस्त, 2016 को प्रधानमंत्री की घोषणा

पहले की सरकार में, सरकारी योजनाओं को आधार से जोड़ने में करीब 4 करोड़ लोगों को जोड़ा जा सका था। आज मुझे संतोष के साथ कहना है कि 4 करोड़ पर काम वहां हुआ था, आज हमने 70 करोड़ नागरिकों को आधार और सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का काम पूरा कर दिया है और जो बाकी हैं, उनको भी पूरा करने का काम चल रहा है।

प्रस्तावना

भारत के निवासियों को एक अद्वितीय पहचान सहित उनके सशक्तीकरण और किसी समय कहीं भी उन्हें अधिकृत करने हेतु एक डिजिटल मंच उपलब्ध कराना।

उद्देश्य

- एक निर्धारित समय और अच्छी गुणवत्ता वाले आधार संख्या का नागरिकों के लिए व्यापक वितरण सुनिश्चित करना।
- आधारभूत सुविधाएं स्थापित करने में साझेदारों से सहयोग करना, जिससे उनकी डिजिटल पहचान को अद्यतन बनाने और अधिकृत बनाने में नागरिकों को सुविधाएं मिले।
- साझेदारों और सेवा-प्रदाताओं के साथ सहयोग करना ताकि निवासियों को आधार के जरिए प्रभावकारी, कारगर और समानता आधारित सेवाएं प्राप्त हों।
- आधार से जुड़े अप्लीकेशन विकसित करने में सार्वजनिक और निजी एजेंसियों के लिए नवीनता को प्रोत्साहन देना और एक मंच उपलब्ध कराना।

उद्देश्य

- प्रौद्योगिकी सुविधाओं की उपलब्धता, मापन और लचीलापन सुनिश्चित करना।
- यूआईडीएआई के दृष्टिकोण और मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक दीर्घकालिक और टिकाऊ संगठन तैयार करना।
- सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक विशेषज्ञता के लिए इसे आकर्षक बनाना और यूआईडीएआई संगठन के लिए मूल्यवान दृष्टि प्रदान करना।

उपलब्धियां

21 जुलाई, 2017 तक कुल 116.09 करोड़ आधार नम्बर तैयार किए गये हैं, जिसमें से 115.15 करोड़ आधार नम्बर भेजे जा चुके हैं।

आदिवासी विरासत का सम्मान

15 अगस्त, 2016 को प्रधानमंत्री की घोषणा

'आजादी की लड़ाई में जंगलों में रहने वाले हमारे आदिवासियों का योगदान अप्रतिम था। वो जंगलों में रहते थे। बिरसा मुंडा का नाम तो शायद हमारे कानों में पड़ता है। लेकिन शायद कोई आदिवासी जिला ऐसा नहीं होगा जिसने 1857 से लेकर के आजादी मिलने तक आदिवासियों ने जंग न की हों, बलिदान न दिया हो। आजादी क्या होती है? गुलामी के खिलाफ जंग क्या होता है? उन्होंने अपने बलिदान से बता दिया था। लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस इतिहास से उतना परिचय नहीं है। सरकार की इच्छा है, योजना है। आने वाले दिनों में उन राज्यों में इन स्वतंत्र सेनानी जो आदिवासी थे, जंगलों में रहते थे, अंग्रेजों से जूझते थे, झुकने को तैयार नहीं थे। उनके पूरे इतिहास को समावेश करते हुए, इन वीर आदिवासियों को याद करते हुए एक स्थायी रूप से संग्रहालय बनाने के लिए जहां-जहां राज्य के अंदर कोई एकाध जगह हो सकती है जहां सबको समेट कर बड़ा संग्रहालय बनाया जा सकता है। और ऐसे अलग-अलग राज्यों में संग्रहालय बनाने की दिशा में सरकार काम करेगी ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे देश के लिए मर मिटने में आदिवासी कितने आगे थे, उसकी जानकारी मिलेगी।'

उपलब्धियां

विचार-विमर्श और चार राज्यों (छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड और राजस्थान) से मिले चार प्रस्तावों के आधार पर योजनाओं का चयन किया गया है और इनका काम प्रगति पर है। राज्यों से प्रस्ताव मिलने के बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय ने महसूस किया कि राज्य सरकारों को उपलब्ध नई प्रौद्योगिकियों का लाभ मिलना चाहिये और देश के संग्रहालयों में इसका इस्तेमाल होना चाहिये। तदनुसार, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मणिपुर, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान के अधिकारियों के लिये पंजाब राज्य के वार हीरोज मेमोरियल और म्यूजियम, विरासत-ए-खालसा, और स्वामीनारायण अक्षरधाम के लिये एक अनुभव यात्रा आयोजित की। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 21 जुलाई, 2017 को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के पास अपना पक्ष रखा। बैठक में यह निर्णय किया गया कि एक ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शदाता का चयन किया जाए ताकि संग्रहालयों की स्थापना के बारे में राज्यों को सलाह मिल सके। यह भी निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड और राजस्थान के अलावा पूर्वोत्तर राज्य (मणिपुर) में संग्रहालय स्थापित करने के एक स्थान के बारे में विचार किया जा सकता है। इस मामले की देखरेख के लिये और इन संग्रहालयों में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल तथा तदनुसार आवश्यक स्वीकृतियों के लिये एक राष्ट्रीय स्तर की समिति गठित की जायेगी।